

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1760  
10.03.2025 को उत्तर के लिए

महाराष्ट्र में तेंदुओं के हमले

1760. एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 29 फरवरी, 2024 को मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक संख्या में तेंदुए महाराष्ट्र राज्य में हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या के साथ ही तेंदुओं के हमलों के कारण पालतू जानवरों और मानव की होने वाली मौतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास इस संबंध में सटीक आंकड़े उपलब्ध हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या गुजरात और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारें तेंदुओं को अपने राज्य से महाराष्ट्र में आने दे रही हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) तेंदुओं द्वारा मानव मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (च) मानव-पशु संघर्ष को कम करने और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

- (क) वर्ष 2022 में किए गए तेंदुओं की संख्या आकलन के पांचवें चक्र के अनुसार, देश में तेंदुओं की सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में है, उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है। इस आकलन के अनुसार मध्य प्रदेश में तेंदुओं की निर्धारित संख्या 3907 है, जबकि महाराष्ट्र में तेंदुओं की संख्या 1985 आंकी गई है।
- (ख) से (घ) मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन सहित वन्यजीवों का प्रबंधन और संरक्षण मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का उत्तरदायित्व है। तेंदुओं के कारण व्यवसाय के लिए पाले जाने वाले पशुओं और मानव मौतों की संख्या का विवरण मंत्रालय में एकत्र नहीं किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तेंदुए के हमलों के कारण हुई मानव मौतों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	मानव मौतों के मामलों की संख्या
2019-20	07
2020-21	33
2021-22	26
2022-23	18
2023-24	15

(ड) और (च) तेंदुओं से संबंधित मानव-वन्यजीव संघर्षों सहित मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं:

- इस मंत्रालय ने दिनांक 06.02.2021 को मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्शिका जारी की है।
- इस मंत्रालय ने दिनांक 3 जून 2022 को फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- मंत्रालय ने दिनांक 21.03.2023 को हाथी, गौर, तेंदुआ, सांप, मगरमच्छ, रीसस मैकाक, जंगली सुअर, भालू, नीलगाय और काले हिरण से संबंधित मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए प्रजाति-विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस मंत्रालय ने मीडिया के साथ सहयोग, मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष स्थितियों से होने वाली स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने जैसे अंतर-संबंधित मुद्दों के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजनाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए संबंधित ग्राम सभा के साथ परामर्श करना अनिवार्य करते हुए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है।
- यह मंत्रालय देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावास के प्रबंधन के लिए 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ और हाथी परियोजना' जैसी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन वित्तीय सहायता प्रदत्त कार्यक्रमों में पूर्व चेतावनी प्रणालियों की खरीद, फसल क्षेत्रों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर विद्युत चालित बाड़, जैव-बाड़, चारदीवारी आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण और स्थापना शामिल है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए छापा प्रतिक्रिया दल भी तैनात किए गए हैं।
- मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन में रेडियो कॉलरिंग, डिजिटल सेंसर वॉल और ई-निगरानी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी का भी उपयोग किया जाता है।
- यह मंत्रालय राज्य सरकारों को मानव-वन्यजीव संघर्ष के संबंध में जागरूकता सृजन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहायता प्रदान करता है।

\*\*\*